

प्रेसनोट दिनांक 27.07.2021

1. दिनांक 26.07.21 को वादी श्री कपिल किशोर पाण्डेय पुत्र ओम प्रकाश पाण्डेय, माननीय राज्य सूचना आयुक्त उ0प्रो के चालक द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं0 यू0पी0 42 एटी 7358 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के वाहन में टक्कर मार कर क्षतिग्रस्त कर देना जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 480 / 21 धारा 279,427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 26.07.21 को वादी उ0नि0 श्री रजत पाण्डेय थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मनोज कुमार गोस्वामी पुत्र रामकलप नि0 दशरथपुर थाना को0बीकापुर अयोध्या गिर0 अभि0 के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद होना जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 292 / 21 धारा 4 / 25 आर्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 26.07.21 को वादी उ0नि0 श्री रजनीष कुमार पाण्डेय थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सरयू प्रसाद पुत्र दुखहरन नि0 महादेवा विशेसरगंज बाजार थाना दुबौलिया बस्ती गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 378 / 21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 26.07.21 को वादी उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना रा0ज0भूमि अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अर्जुन पुत्र राधेश्याम नि0 मीरापुर बुलन्दी थाना रा0ज0भू0 अयोध्या गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना रा0ज0भू0 में मु0अ0सं0 54 / 21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 26.07.21 को वादी उ0नि0 श्री रामचन्द्र मौर्य थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सतगुरु सरन पुत्र सव0 हंसराज नि0 रंजना थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 314 / 21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 26.07.21 को वादी श्री अरविन्द प्रजापति पुत्र राधेश्याम प्रजापति नि0 दोस्तपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रघुनाथ सेन पुत्र जगदम्बा नि0 दोस्तपुर पूराकलन्दर अयोध्या आदि 02 नफर अभि0गणों द्वारा बच्चों की बात को लेकर गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 315 / 21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 26.07.21 को वादी उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुग्रीव पुत्र बुद्धू नि0 सरियावां थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर0 अभि0 के कब्जे से 15 ली0 कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 316 / 21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 26.07.21 को वादी उ0नि0 श्री विनय कुमार यादव थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामकलप पुत्र रामसुचित नि0 सरियावां थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 318 / 21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 26.07.21 को वादी उ0नि0 श्री विनय कुमार यादव थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सोहन चौहान पुत्र रामतीरथ नि0 बाबा का पुरवा बरखा थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 ली0 कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 320 / 21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 26.07.21 को वादी हे0का यशवन्त सिंह थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अंकित गौड़ पुत्र बडकऊ नि0 मउलारा थाना इनायतनगर अयोध्या गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 321 / 21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 26.07.21 को वादी हेठोका यशवन्त सिंह थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि लक्षण पुत्र उरौली निःखरेड्ज थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिरो अभिः के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 322/21 धारा 60 आबकारी अधिः का अभियोग पंजीकृत किया गया।

12. दिनांक 26.07.21 को वादी हेठोका यशवन्त सिंह थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि हरिराम पुत्र हृदयराम निः नउआ का परवा थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिरो अभिः के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 323/21 धारा 60 आबकारी अधिः का अभियोग पंजीकृत किया गया।

13. दिनांक 26.07.21 को वादी का० अंकित पाण्डेय थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि संदीप कुमार पुत्र रामजियावन निः रामापुर सरैया थाना गोसाईगंज अयोध्या गिरो अभिः के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 216/21 धारा 60 आबकारी अधिः का अभियोग पंजीकृत किया गया।

14. दिनांक 26.07.21 को वादी उ०निः श्री रामखेलाडी थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रमेश पुत्र रामप्रसाद निः मैरामऊ थाना पटरंगा गिरो अभिः के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 161/21 धारा 60 आबकारी अधिः का अभियोग पंजीकृत किया गया।

15. दिनांक 26.07.21 को वादी उ०निः श्री विजय कुमार यादव थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि समईलाल पुत्र रामसजीवन निः पासिन का पुरवा मजरे खण्डपिपरा थाना पटरंगा अयोध्या गिरो अभिः के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 162/21 धारा 60 आबकारी अधिः का अभियोग पंजीकृत किया गया।